कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित	**श्रीमती कामिनी चौहान रतन, आई0 ए0 एस0, एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।**
प्रार्थी	**M/S MNM TRANDING SOLUTIONS PVT. LTD. S-56 / 18, DLF-III, Gurgaon, 122002 (Haryana).**
प्रार्थना पत्र संख्या व दिनांक	**82 / 11, 08.09.2011**
प्रार्थी की ओर से	**श्री सौरभ सिंह गहलौत, अधिवक्ता।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

M/S MNM TRANDING SOLUTIONS PVT. LTD. S-56 / 18, DLF-III, Gurgaon, 122002 (Haryana). द्वारा उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए निम्न प्रश्न को निर्णीत करने का अनुरोध किया गया है :-

Whether declaration Form XXXIX, from the purchasing Individuals, is required for goods sold by Home-shopping channel STAR CJ Alive and Internet Web sit www.starcj.com situated outside the State of U.P..

2. प्रार्थी की ओर से श्री सौरभ सिंह गहलौत, विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा उनके द्वारा प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तथ्यों को दोहराते हुए यह कहा गया कि प्रार्थी हरियाणा राज्य में फुटकर व्यापार के लिए पंजीकृत हैं। प्रान्त बाहर यथा-उत्तर प्रदेश के उपभोक्ताओं द्वारा वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए इन्टरनेट से आर्डर किया जाता है और उनको को कोरियर सर्विस के माध्यम से वस्तुओं को उपलब्ध कराया जाता है उपभोक्ता को इन वस्तुओं को प्रान्त बाहर से प्राप्त करने के लिए फार्म-39 आवश्यक नहीं है क्योंकि उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-50 (1) में उल्लेख है कि-Provided that where the importer intends to bring, import or otherwise receive such goods otherwise than in connection with business, he may, at his option, in the like manner obtain the prescribed form of certificate., से स्पष्ट है कि इसमें he may, at his option का प्रयोग किया गया है। जिससे स्पष्ट है कि यह उपभोक्ता के विकल्प पर है कि वह फार्म-39 का प्रयोग करे अथवा न करे। अन्त में प्रार्थना-पत्र निस्तारित करने का अनुरोध किया गया है।

3. प्रस्तुत कर्ता अधिकारी द्वारा अपनी आख्या में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-50 में घोषणा-पत्र द्वारा सड़क मार्ग से राज्य में माल आयात करने का प्राविधान किया गया है। इस प्राविधान के अनुसार यदि कोई व्यक्ति प्रान्त बाहर से माल का आयात करता है जिसका सम्बन्ध व्यापारिक गतिविधि से है तो ऐसा माल आयात करने के लिए रोड परमिट के रूप में फार्म-38 का प्रयोग करेगा। इसी प्रकार से otherwise व्यापारिक गतिविधि के उद्देश्य से यदि माल का आयात किया जाता है तो उसके लिए फार्म-39 का प्रयोग किया जायेगा। प्रार्थी का यह कहना कि इन्टरनेट से बुकिंग होने के उपरान्त माल उपभोक्ता को कोरियर के माध्यम से प्रेषित किया जायेगा जिसके लिए फार्म-39 लेना उसके विकल्प पर है, उचित नहीं

...2

है । धारा-50 (2ख) में प्राविधान है कि जहॉ ऐसा माल राज्य के भीतर कारबार से सम्बन्धित व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति द्वारा आयात किया जाता है, लाया जाता है या अन्यथा रूप से प्राप्त किया जाता है तो वह ऐसे प्रमाण-पत्रों, दस्तावेजों, जिन्हें विहित किया जाये, को इसी तरह अपने साथ रखेगा ।

प्रार्थी हरियाणा राज्य के हैं और उत्तर प्रदेश के उपभोक्ताओं को माल प्रेषित करते हैं । इस संव्यवहार पर माल की खरीद-बिक्री की संविदा हरियााणा राज्य में पूर्ण होती है । उत्तर प्रदेश राज्य में कोरियर अथवा अन्य माध्यम से प्राप्त माल उत्तर प्रदेश के उपभोक्ता का होता है जिसके लिए उपर्युक्त उल्लिखित प्राविधान उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम की धारा-50 (2ख) में स्पष्ट है कि ऐसे संव्यवहार के लिए फार्म-39 की आवश्यकता होगी ।

प्रार्थी द्वारा आयात घोषणा-पत्र के सम्बन्ध में जो प्रश्न पूछा गया है, यह प्रश्न उत्तर प्रदेश के उपभोक्ता द्वारा पूछा जा सकता है क्योंकि प्रश्नगत संव्यवहार में माल का आयात उसी के द्वारा किया जाना विचारणीय है । प्रार्थी उत्तर प्रदेश राज्य में यथा-पंजीकृत या अपंजीकृत रूप से वाणिज्य कर विभाग के अभिलेख पर नहीं है और न ही प्रश्नगत संव्यवहार में उनके द्वारा माल का आयात किया जा रहा है । ऐसी स्थिति में प्रश्न उनके सम्बन्ध में उत्पन्न ही नहीं होता है और न ही वह person or dealer concerned in U.P. VAT Act हैं । अत: उनके द्वारा प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है । अत: उनका प्रार्थना-पत्र ग्राह्य न होने के कारण स्वीकोर योग्य नहीं है ।

4. एडीशनल कमिश्नर (विधि) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश द्वारा विधिक राय देते हुए यह कहा कि धारा-59 की उप धारा-1 (सी) में निम्न उल्लेख है :-

the person or the dealer concerned may, after depositing the fee specified in section 72, submit an application to the Commissioner, alongwith such documents as may be prescribed.

यह प्राविधान उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत प्राविधानित हे तथा इसकी धारा-1 (2) में यह स्पष्ट उल्लेख है कि " It extends to the whole of Uttar Pradesh.. " अत: स्पष्ट है कि यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य की परिधि में ही लागू है । इस कारण इसके अन्तर्गत, प्रार्थना-पत्र धारा-59 के अन्तर्गत प्रान्तीय Concerned Person द्वारा दिया जाना ही विधिक है ।

5. मेरे द्वारा प्रार्थी के धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों एवं प्रस्तुत साक्ष्यों का परिशीलन किया गया । प्रार्थी द्वारा जो प्रश्न पूछा गया है वह उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-50 के अन्तर्गत स्थापित विधि है । प्रार्थी हरियाणा राज्य के हैं प्रश्नगत संव्यवहार जिसका उल्लेख धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में करते हुए, प्रश्न विनिश्चय करने का अनुरोध किया गया । यह प्रश्न उनके सम्बनध में उत्पन्न ही नहीं होता है, क्योंकि माल का आयात स्वयं उनके द्वारा नहीं किया जाता है और न ही वह पंजीकृत या अपंजीकृत रूप से वाणिज्य कर विभाग के अभिलेख पर हैं । अत: person or dealer concerned in U.P. VAT Act न होने के कारण उनके द्वारा दिया गया, धारा-59 का प्रार्थना-पत्र ग्राह्य नहीं है, जिसे अस्वीकार किया जाता है ।

6. प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता

....3

है।

7. उपरोक्त की एक प्रति प्रार्थी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय।

दिनांक 08 अक्टूबर, 2012

ह0 / 08.10.2012

(कामिनी चौहान रतन)

एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।